<u>आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर</u>

<u>श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य तथा</u>

<u>सुश्री मधुमिता रॉय, न्यायिक सदस्य के समक्ष</u>

<u>आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से</u>

<u>आ.अ.सं. 309 /इंदौर/2020</u>

<u>निर्धारण वर्ष : 2006-07</u>

श्री राजेश कुमार अग्रवाल, टीमरनी, हरदा	बनाम	आयकर अधिकारी-2, इटारसी
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एडीएसपीए 1288 एम		

अपीलार्थी की ओर से :	श्री एस.एन.अग्रवाल, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री हर्षित बारी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि :	18.08.2021
उद्घघोषणा तिथि :	18.08.2021

<u>आदेश</u>

<u>श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा</u>

निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-I, भोपाल के आदेश दिनांक 31.08.2020 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई हैं ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्धारिती ने कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत आवेदन किया है । अतः निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नही है । निर्धारिती के विद्वान

अधिवक्ता ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है । अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं । हालांकि निर्धारिती आयकर अधिनियम के अनुसार विनिहित अवधि के अंदर विविध आवेदन दाखिल करने हेतु स्वतंत्र होगा यदि आयकर विभाग द्वारा निर्धारिती को फार्म सं. 5 जारी नहीं किया जाता है ।

3. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 18.08.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(मधुमिता रॉय)	(मनीष बोरड)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 18.08.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल